

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-02/2025(खण्ड-1).....**4237**

प्रेषक,

जे.प्रियदर्शिनी, भा० प्र० से०

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,

पटना / बक्सर / सारण (छपरा) / मुजफ्फरपुर / समस्तीपुर / दरभंगा / वैशाली
(हाजीपुर) / पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) / भोजपुर (आरा) / औरंगाबाद / गोपालगंज /
भागलपुर / कैमूर (भभूआ) / सिवान / मधुबनी / रोहतास / गया / नवादा / बाँका /
शिवहर / सहरसा / बेगूसराय / लखीसराय / जहानाबाद / अरवल / किशनगंज /
अररिया / कटिहार / सीतामढ़ी / सुपौल / मधेपुरा / जमुई / शेखपुरा /
नालन्दा / पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / पूर्णियाँ / खगड़िया / मुंगेर /

प्राचार्य,

राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,

बोधगया।

अवर सचिव-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय,

बिहार, पटना।

पटना दिनांक :- **26/07/25**

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि मद एवं वेतनादि से भिन्न मद में कुल - **81,78,05,480/-** (ईक्यासी करोड़ अठहत्तर लाख पाँच हजार चार सौ अस्सी) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र० स०	कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ ०	01 04 म०कि०भ ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि० भत्ता	28 02 संविदा सेवाएँ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बन्दोबस्त कार्यालय, पटना	3104000	1241500	382000	267300	100000	25000000	30094800
2	बन्दोबस्त कार्यालय, बक्सर	1430000	484000	88000	—	30000	10000000	12032000
3	बन्दोबस्त कार्यालय, सारण (छपरा)	2010300	655700	101400	52500	48400	20000000	22868300
4	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर	1836400	632900	113000	59000	40000	20000000	22681300
5	बन्दोबस्त कार्यालय, समस्तीपुर	2259500	737000	114700	53900	44000	15000000	18209100
6	बन्दोबस्त कार्यालय, दरभंगा	1357000	750000	135700	30000	24000	15000000	17296700
7	बन्दोबस्त कार्यालय, गया	1456500	1323400	249600	—	—	20000000	23029500
8	बन्दोबस्त कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)	1752600	640000	107900	—	50000	20000000	22550500
9	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	1497600	1446900	92200	39200	36000	20000000	23111900
10	बन्दोबस्त कार्यालय, भोजपुर (आरा)	2081300	704500	133600	81900	52000	10000000	13053300
11	बन्दोबस्त कार्यालय, औरंगाबाद	1267500	429000	78000	—	20000	40000000	41794500
12	बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज	3132700	1825200	367000	—	93600	30000000	35418500
13	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	4227300	1480000	320000	300000	50000	20000000	26377300
14	बन्दोबस्त कार्यालय, कैमूर	1105000	380000	52000	—	24000	20000000	21561000
15	बन्दोबस्त कार्यालय, सिवान	800000	450000	106880	—	90000	25000000	26446880
16	बन्दोबस्त कार्यालय, मधुबनी	1845700	620700	91400	100000	60000	25000000	27717800
17	बन्दोबस्त कार्यालय, रोहतास	1625000	520000	80000	50000	40000	40000000	42315000

क्र० स०	कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ०	01 04 म०कि०भ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि० भत्ता	28 02 संविदा सेवाएँ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	बन्दोबस्त कार्यालय, नवादा	—	—	—	—	—	15000000	15000000
19	बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका	2215200	669760	102240	—	64000	25000000	28051200
20	बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर	2223300	725200	102600	—	65000	9600000	12716100
21	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	1846500	600000	113600	26800	44000	10000000	12630900
22	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	3074800	1691600	329000	94200	60000	25000000	30249600
23	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	1400000	1000000	150000	—	—	20000000	22550000
24	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	1468400	542700	76300	9500	33600	8000000	10130500
25	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल	1019900	384300	47000	3600	24800	15000000	16479600
26	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	1780500	580700	112300	—	44000	20000000	22517500
27	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	1072500	350000	4800	—	28000	10000000	11455300
28	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	1371800	464300	8500	34400	28000	15000000	16907000
29	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	1617200	613300	78600	48800	40000	20000000	22397900
30	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	880800	824200	120600	—	—	7000000	8825600
31	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	912000	600000	100000	—	—	10000000	11612000
32	बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई	2925000	920000	160000	—	100000	15000000	19105000
33	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	2135000	1174300	150500	33000	—	15000000	18492800
34	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	2470000	840000	160000	100000	75000	25000000	28645000
35	बन्दोबस्त कार्यालय, प०चम्पारण (बेतिया)	2658600	874100	107000	53100	36000	15000000	18728800

क्र० स०	कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जी०या०भ ०	01 04 म०कि०भ ०	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चि० भत्ता	28 02 संविदा सेवाएँ	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ	1950000	600000	120000	100000	98800	15000000	17868800
37	बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया	729700	750400	93800	—	—	10000000	11573900
38	बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर	2521500	1715400	307900	26000	25000	15000000	19595800
39	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	1095600	602600	109600	6000	—	—	1813800
40	अवर सचिव, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	2600000	880000	320000	50000	50000	10000000	13900000
कुल योग :-		72756700	31723660	5487720	1619200	1618200	704600000	817805480

(ईक्यासी करोड़ अठहत्तर लाख पाँच हजार चार सौ अस्सी) रूपये मात्र

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 12492 दिनांक 15.06.2024 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड **40- 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
- उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वरसभाजन


26/7


(जे.प्रियदर्शिनी)

निदेशक

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-02/2025(खण्ड-1).....4237

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक :- 26/07/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



26/7

निदेशक

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-02/2025(खण्ड-1).....4237

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक :- 26/07/2025

प्रतिलिपि:- संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



26/7

निदेशक

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-02/2025(खण्ड-1).....4237

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक :- 26/07/2025

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


26/7

निदेशक

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-02/2025(खण्ड-1).....4237

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना, दिनांक :- 26/07/2025

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


26/7

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण